रजि० सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 1969/ज्येष्ठ 26, 1891

No. 104] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 1969/JYAISTHA 26, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 16th June 1969

G.S.R. 1414.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby fixes a tariff value of Rs. 200 per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*:

Provided that this notification shall not apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act 1955 (10 of 1955)

[No. 165/69]

K. NARASIMHAN, Jt. Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 16 जून 1969

सा० का० नि० 1415.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली तथा मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए प्रति क्विन्टल 200.00 रुपए टैरिफ मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है ।

परन्तु यह अधिसूचना ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन बेची जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित है ।

[सं० 165/69]

के० नरसिंहन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969